रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13032024-252934
CG-DL-E-13032024-252934

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1207] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 12, 2024/फाल्गुन 22, 1945
No. 1207] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 12, 2024/PHALGUNA 22, 1945

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

(दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 फरवरी, 2024

का.आ.1269(अ).—सेवाओं या फायदों या सहायिकियों के परिदान के लिए एक पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं का सरलीकरण करता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है और फायदाग्राहियों को सुविधापूर्वक और निर्बाध रीति में उनकी हकदारियों को सीधे प्राप्त करने में समर्थ बनाता है और आधार किसी व्यक्ति की पहचान को साबित करने के लिए बहुल दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करता है;

कल्याण के लिए राष्ट्रीय न्यास द्वारा आवासीय स्कीम (समर्थ-राहत, घरौंदा – व्यस्कों के लिए, सामूहिक गृह और समर्थ सह घरौंदा स्कीम) (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) को केंद्रीय सेक्टर स्कीम के रूप में संपूर्ण देश में अपने रजिस्ट्रीकृत संगठनों (जिसे इसमें इसके पश्चात् कार्यान्वयन अभिकरण कहा गया है) के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है;

और, इस स्कीम के अधीन, राष्ट्रीय न्यास विभिन्न सेवाएं प्रदान कर रहा है जैसे अनाथ या परित्यक्त, संकटग्रस्त परिवारों और गरीबी रेखा से नीचे के दिव्यांगजनों और निराश्रित और वरिष्ठ दिव्यांगजनों आदि सहित निम्न आय वर्ग के परिवारों के लिए राहत गृह सेवाएं (जिसे इसमें इसके पश्चात् फायदा कहा गया है) (स्कीम के अनुसार राष्ट्रीय न्यास

अधिनियम के अधीन कवर किए गए दिव्यांगजनों जैसे इसमें इसके पश्चात् फायदाग्राही कहा गया है) को दी जाती है और इसके अधीन जारी किए गए मार्गदर्शक सिद्धांतों का विस्तार किया जाता है;

और स्कीम के कार्यान्वयन में भारत की संचित निधि से उपगत आवर्ती व्यय अंतर्वलित हैं;

अत:, अब केंद्रीय सरकार आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, फायदों और सेवाओं का लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया) की धारा 7 के प्रावधानों के अनुसरण में, एतदद्वारा निम्नलिखित को अधिसूचित करती है, अर्थात्: –

1. (क) स्कीम के अधीन फायदा प्राप्त करने हेतु पात्र व्यक्ति को अपने आधार संख्या रखने का प्रमाण प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा या आधार अधिप्रमाणन कराना होगा;

(ख) इस स्कीम के अधीन प्रसुविधा प्राप्त करने हेतु इच्छुक ऐसे किसी भी व्यक्ति, जिसके पास आधार संख्या नहीं है, या जिसने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं किया है, को इस स्कीम के लिए रजिस्ट्रीकरण करने से पूर्व आधार नामांकन के लिए आवेदन करना होगा, बशर्ते कि वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के अनुसार आधार अभिप्राप्त करने का हकदार हो, और ऐसा व्यष्टि आधार के लिए नामांकित होने के लिए किसी भी आधार नामांकन केंद्र) भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण) यूआईडीएआई (वेबसाइट www.uidai.gov.in पर सूची उपलब्ध है (पर जाएगा;

(ग) आधार (नामांकन और अद्यतन (अपडेट) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार, विभाग को अपने कार्यान्वयन अधिकरणों के माध्यम से उन फायदाग्राहियों के लिए आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करना आवश्यक है, जिन्होंने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं किया है और यदि संबंधित ब्लॉक या तालुका या तहसील में कोई आधार नामांकन केंद्र अवस्थित नहीं है, तो विभाग अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआईडी) के विद्यमान रजिस्ट्रारों के समन्वय से या स्वयं यूआईडीएआई रजिस्ट्रार बनकर सुविधाजनक स्थानों पर आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करेगा:

परंतु कि जब तक ऐसे व्यष्टि को आधार नियत नहीं हो जाता, स्कीम के अधीन फायदे ऐसे व्यक्ति को निम्नलिखित दस्तावेजों के प्रस्तुत किए जाने के अधीन रहते हुए दिए जाएंगें, अर्थात्-:

(क) यदि उसने नामांकन किया है, तो उसकी आधार नामांकन पहचान पर्ची; और

(ख) निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक, नामत :-

(i) फोटो के साथ बैंक या पोस्ट ऑफिस पासबुक; या

(ii) स्थायी खाता संख्या) पैन (कार्ड; या

(iii) पासपोर्ट; या

(iv) राशन कार्ड; या

(v) मतदाता पहचान पत्र; या

(vi) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कार्ड; या

(vii) किसान फोटो पासबुक; या

(viii) मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारी चालन अनुज्ञप्ति; या

(ix) राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार द्वारा शासकीय पत्र पर जारी ऐसे व्यक्ति का फोटोयुक्त पहचान प्रमाण पत्र; या

(x) विभाग द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज:

परंतु यह और कि उपरोक्त दस्तावेजों को उस प्रयोजन के लिए विभाग द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से अभिहित अधिकारी द्वारा जांचा जा सकेगा।

2. इस स्कीम के अधीन फायदाग्राहियों को सुविधाजनक रूप से फायदा प्रदान करने के लिए, विभाग अपने कार्यान्वयन अधिकरण के माध्यम से यह सुनिश्चित करने के लिए सभी अपेक्षित व्यवस्था करेगा कि फायदाग्राहियों को स्कीम के अधीन आधार की अपेक्षा के बारे में जागरूक करने के लिए मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार किया जाएगा।

3. उन सभी दशाओं में, जहां खराब बायोमेट्रिक्स के कारण या किसी अन्य कारण से फायदाग्राहियों के आधार असफल हो जाते हैं, वहां निम्नलिखित उपचारात्मक तंत्र अपनाए जाएंगे, अर्थात् –

(क) खराब अंगुली छाप क्वालिटी की दशाओं में, अधिप्रमाणन के लिए आईरिस स्कैन या चेहरे के (फेस) अधिप्रमाणन सुविधा को अपनाया जाएगा, और विभाग, अपने कार्यान्वयन अधिकरण के माध्यम से, निर्बाध रीति से फायदा प्रदान करने के लिए अंगुली छाप अधिप्रमाणन के साथ-साथ आईरिस स्कैनर या चेहरे (फेस) के अधिप्रमाणन के लिए उपबंध करेगा;

(ख) अंगुलीछाप या आईरिस स्कैन या चेहरे के (फेस)अधिप्रमाणन के माध्यम से बायोमैट्रिक अधिप्रमाणन सफल नहीं होने की दशा में जहां भी साध्य और ग्राह्य हो, सीमित समय विधिमान्य वाले आधार वन टाइम पासवर्ड या समय-आधारित वन-टाइम पासवर्ड द्वारा अधिप्रमाणन, जैसा भी मामला हो, किए जाएंगे;

(ग) अन्य सभी दशाओं में, जहां बायोमेट्रिक या आधार वन टाइम पासवर्ड या समय-आधारित वन-टाइम पासवर्ड अधिप्रमाणन साध्य नहीं है, वहां स्कीम के अधीन वास्तविक (फिजिकल)आधार पत्र के आधार पर फायदे दिए जा सकते हैं ,जिसकी अधिप्रमाणिकता आधार पत्र पर मुद्रित त्वरित प्रतिक्रिया) क्यूआर (कोड के माध्यम से सत्यापित की जा सकती है और विभाग द्वारा त्वरित प्रतिक्रिया कोड रीडर की अपेक्षित व्यवस्था अपने कार्यान्वयन अधिकरण के माध्यम से सुविधाजनक स्थानों पर प्रदान की जाएगी।

4. यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस स्कीम के अधीन कोई भी ईमानदार फायदाग्राही अपने देय फायदों से वंचित न हो, विभाग अपने कार्यान्वयन अधिकरण के माध्यम से, 19 दिसंबर, 2017 (https://dbtbharat.gov.in/ पर उपलब्ध) के प्रत्यक्ष फायदा अंतरण मिशन, कैबिनेट सचिवालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन संख्या घ-26011/04/2017-डीबीटी में यथाविनिर्दिष्ट अपवाद प्रबंधन तंत्र का पालन करेगा।

5. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में प्रवृत्त होगी ।

[फा.सं. पी-13013/24/2023-यूडीआईडी/आईटी/सांख्यिकी]

राजीव शर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

(Department of Empowerment of Persons with Disabilities (divyangjan)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th February, 2024

S.O. 1269(E).—Whereas, the use of Aadhaar as an identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner by obviating the need to produce multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the National Trust for the Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation, and Multiple Disabilities, the Department of Empowerment of Persons with Disabilities, Ministry of Social Justice and Empowerment, (hereinafter referred as the Department) in the Government of India is administering the Residential Scheme (Samarth - Respite Care, Gharaunda - Group Home for Adults and Samarth cum Gharaunda Scheme) (hereinafter referred to as the Scheme) as a Central Sector Scheme, which is being implemented through its Registered Organisations across the country (hereinafter referred to as the Implementing Agency);

And whereas, under the Scheme, the National Trust is providing various services like respite home services for orphans or abandoned, families in crisis and for Divyangjan from Below Poverty Line and Lower Income Group families including destitute and group home services to Adults Divyangjans etc. (hereinafter referred to as the benefits) is given to persons with disabilities covered under the National Trust Act (hereinafter referred to as the beneficiaries) as per the Scheme and extend guidelines issued their under;

And whereas, the implementation of the Scheme involves recurring expenditure incurred from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby notifies the following, namely:-

1. (a) an individual eligible for receiving the benefits under the Scheme shall be required to furnish proof of possession of Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication;

(b) any individual desirous of availing benefits under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number, or has not yet enrolled for Aadhaar, shall be required to make application for Aadhaar enrolment before registering for the Scheme, provided that he is entitled to obtain Aadhaar as per section 3 of the said Act, and such individual shall visit any Aadhaar enrolment centre (list available at the Unique Identification Authority of India (UIDAI) website www.uidai.gov.in) to get enrolled for Aadhaar;

(c) as per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Department, through its Implementing Agency, is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Taluka or Tehsil, the Department through its Implementing Agency shall provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of Unique Identification Authority of India (UIDAI) or by becoming UIDAI Registrar themselves:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, benefits under the Scheme shall be given to such individual, subject to the production of the following documents, namely :–

a. if he has enrolled, his Aadhaar Enrolment Identification slip; and

b. any one of the following documents, namely :-

(i) Bank or post office passbook with photo; or

(ii) Permanent Account Number (PAN) Card; or

(iii) Passport; or

(iv) Ration card; or

(v) Voter identity card; or

(vi) Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act card; or

(vii) Kisan photo passbook; or

(viii) Driving license issued by the Licensing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or

(ix) Certificate of identity having photo of such person issued by a Gazetted Officer or a Tehsildar on an official letter head; or

(x) any other document as specified by the Department:

Provided, further that the above documents may be checked by an officer specifically designated by the Department for that purpose.

2. In order to provide benefits to the beneficiaries under the Scheme conveniently, the Department through its Implementing Agency shall make all the required arrangements to ensure that wide publicity through media shall be given to the beneficiaries to make them aware of the requirement of Aadhaar under the Scheme.

3. In all cases, where Aadhaar authentication fails due to poor biometrics of the beneficiaries or due to any other reason, the following remedial mechanisms shall be adopted, namely:-

(a) in case of poor fingerprint quality, iris scan or face authentication facility shall be adopted for authentication, and the Department, through its Implementing Agency, shall make provisions for iris scanners or face authentication along with finger-print authentication for delivery of benefits in seamless manner;

(b) in case the biometric authentication through fingerprints or iris scan or face authentication is not successful, wherever feasible and admissible, authentication by Aadhaar One Time Password or Time-based One-Time Password with limited time validity, as the case may be, shall be offered;

(c) in all other cases, where biometric or Aadhaar One Time Password or Time-based One-Time Password authentication is not possible, benefits under the Scheme may be given on the basis of physical Aadhaar letter whose authenticity can be verified through the Quick Response code printed on the Aadhaar letter and the necessary arrangement of Quick Response code reader shall be provided at convenient locations by the Department through its Implementing Agency.

4. In order to ensure that no bonafide beneficiary under the Scheme is deprived of his due benefits, the Department, through its Implementing Agency, shall follow the exception handling mechanism as specified in the Office Memorandum of Direct Benefit Transfer Mission, Cabinet Secretariat, Government of India No. D-26011/04/2017-DBT, dated the 19th December, 2017 (available on https://dbtbharat.gov.in/).

5. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette in all the States and Union territories.

[F. No. P-13013/24/2023-UDID/IT/STATISTICS]

RAJEEV SHARMA, Jt Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

AMIT KUMAR JAISWAL
Digitally signed by AMIT KUMAR JAISWAL
Date: 2024.03.13 19:58:21 +05'30'